



संख्या- 22/2026/आई/1393523/001-64-2002-002-14-2022

प्रेषक,

उमेश यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 13-07-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में पिछड़े वर्ग हेतु संचालित छात्रावासों का अनुरक्षण योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश के चिन्हित 08 छात्रावासों के अनुरक्षण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 658/पि0व0क0/2026-27, दिनांक 07 जुलाई, 2026 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में पिछड़े वर्ग हेतु संचालित छात्रावासों का अनुरक्षण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चिन्हित 08 छात्रावासों के अनुरक्षण हेतु निम्नानुसार सारिणी के कॉलम-4 में मूल्यांकित लागत **रू0 498.71 लाख (रूपये चार करोड़ अठानबे लाख इकहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	छात्रावास का नाम	जनपद	स्वीकृत लागत
1	2	3	4
1	राजकीय पॉलीटेक्निक, बहराइच	बहराइच	67.42
2	राजकीय इण्टर कालेज, बरेली।	बरेली	64.81
3	राजकीय महिला पॉलिटैक्निक, गोरखपुर।	गोरखपुर	67.93
4	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (शताब्दी-2) कानपुर नगर।	कानपुर नगर	66.52

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5	राजकीय इ0का0, प्रतापगढ़।	प्रतापगढ़	61.88
6	प0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महा0 पलही पट्टी, वाराणसी।	वाराणसी	57.10
7	राजकीय इण्टर कालेज घोरावल, सोनभद्र।	सोनभद्र	58.76
8	राजकीय महाविद्यालय, बारा कानपुर देहात।	कानपुर देहात	54.29
कुल योग			498.71

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय उपरिसंदर्भित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिए गए निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

(4) उक्त कार्यों से संबंधित कोई पुनरीक्षण भविष्य में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) आगणन में निर्धारित लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा एवं कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कर कराया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि नियमानुसार अनुमन्य की गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(8) आगणन में उल्लिखित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत माना गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे:-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में न ही किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का समस्त दायित्व निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 का होगा। यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की मानीटरिंग भी की जाय और इस संबंध में प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(11) प्रश्रुत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० का होगा।

(12) यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० का होगा कि प्रश्रुत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(13) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(14) कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था तथा निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रश्रुत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि इस संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(17) सम्बन्धित छात्रावास की मरम्मत एवं अनुरक्षण के कार्य का स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण सम्बन्धित छात्रावास के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा होने का सत्यापन प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/ मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। मण्डलीय उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा अपने भ्रमण के अवसर पर अनुरक्षण कार्य का निरीक्षण-पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(18) उक्त अनुरक्षण कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण किये जाने हेतु शासन स्तर पर समिति गठित की जायेगी, जो अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के बाद अनुरक्षण कार्य का भौतिक सत्यापन करेगी।

(19) अनुरक्षण कार्य हेतु स्वीकृत/आवंटन धनराशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यह धनराशि अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रेणीत नहीं की जायेगी।

(20) उपरोक्त समस्त कार्य पूर्व में निर्मित छात्रावासों के मरम्मत/अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य होंगे। कोई भी नवनिर्माण उक्त कार्य में सम्मिलित नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,98,71,000 (रुपये चार करोड़ अठानबे लाख इकहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 079 लेखा शीर्षक 2225032770600** पिछड़े वर्ग हेतु संचालित छात्रावासों का अनुरक्षण **मानक मद 29** अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

उमेश यादव
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-22/2026/आई/1393523/001-64-2002-002-14-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र०।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
7. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ०प्र०।
8. उप निदेशक, सम्बन्धित मण्डल, उ०प्र०।
9. सम्बन्धित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4 ।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
12. राज्य योजना आयोग-1 ।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

उमेश यादव
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।